

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

आदेश

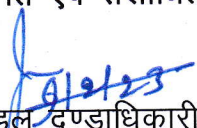
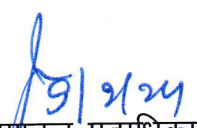
वाद सं० एम 87 / 2023-24

प्रथम पक्ष हरीलाल साहु ...वगै०

धारा 144 द०प्र०सं०

बनाम

द्वितीय पक्ष गाँधी साहु वगै०

आदेश की क्र० सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तारीख
	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं०- 12/2023 दिनांक 13.07.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष :- (1) हीरालाल साहु उम्र करीब 60 वर्ष, पिता- भाडु साहु (2) निलम देवी, पति- हीरालाल साहु, ग्राम- सुरुहवा, थाना-कामडारा, जिला- गुमला। बनाम द्वितीय पक्ष:- (1) गाँधी साहु उम्र करीब 49 वर्ष, पिता- भाडु साहु (2) अनिता देवी उम्र करीब 40 वर्ष, पति- गाँधी साहु (3) अनील साहु, उम्र करीब 18 वर्ष, (4) सुनील साहु उम्र करीब 18 वर्ष, दोनों के पिता- गाँधी साहु, ग्राम- सुरुहवा, थाना-कामडारा, जिला-गुमला के बीच मौजा- सुरुहवा, थाना-कामडारा के खाता सं० 1/10 प्लॉट सं० 300 रकबा 0.70 एकड़ भूमि पर दोनों पक्षों के बीच भूमि से संबंधित विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार द०प्र०सं० की धारा 144 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)  अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया (गुमला)	